

वनवासियों के अधिकार और थानथाई पेरियार अभयारण्य

प्रलिस के लयः

थानथाई पेरियार अभयारण्य, [वन अधिकार अधनियम \(The Forest Rights Act- FRA\), 2006](#), [राष्ट्रीय उद्यान](#), [टाइगर रज़रव](#), [नीलगरि बायोस्फीयर रज़रव](#), [वन-नवासि/वनवासी](#)

मेन्स के लयः

वन अधिकार अधनियम, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और मान्यता का महत्त्व, भारत में जनजातियों द्वारा सामना कये जाने वाले मुद्दे, भारत के जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के तरीके

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

तमलिनाडु में थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधसूचना के बाद की हालिया घटनाओं में, वनवासियों ने [अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन-नवासि \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधनियम 2006 \(FRA\)](#) के तहत अपने अधिकारों के संभावति अस्वीकृति के बारे में चति व्यक्त की।

थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधसूचना के संबंध में क्या चतिाएँ हैं?

- अधसूचना में **छह आदवासी वन्य ग्रामों को अभयारण्य से बाहर** रखा गया है, उन्हें राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता दये बनि, 3.42 वर्ग कमी. के एक छोटे से कषेत्र तक सीमति कर दया गया है।
- अधसूचना **मवेशी-चारण की गतविधियों पर भी प्रतबिंध** लगाती है, जो **बरगुर मवेशियों** की पारंपरिक प्रथाओं को प्रभावति कर सकती है, जो **कबरगुर वन्य पहाड़ियों** की पारंपरिक नसल है।
- इस अधसूचना में **वन अधिकार धारकों या ग्राम सभा की सहमति** का उल्लेख नहीं है, जैसा कि FRA, 2006 द्वारा अपेक्षति है।

नोटः

- मार्च 2022 में, **मद्रास उच्च न्यायालय** ने तमलिनाडु के सभी वनों में मवेशी-चारण पर पूर्ण प्रतबिंध लगाने वाले पुराने आदेश को संशोधति कया और **प्रतबिंध को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रज़रव तक सीमति कर दया**।
 - तमलिनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहाँ इस तरह का प्रतबिंध है।
- FRA, 2006 इस आदेश पर लागू नहीं होता है, जो **खानाबदोश/चलवासी या पशुपालक समुदायों की मवेशी-चारण प्रथा और पारंपरिक संसाधनों तक पहुँच** को स्वीकार करता है, यह आदेश **राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रज़रव सहति सभी वनों पर लागू होता है**। मवेशी-चारण अधिकार बस्ती-स्तर के गाँवों के सामुदायिक अधिकार हैं और उन्हें उनकी **ग्राम सभाओं** द्वारा वनियमति कया जाना है।

वन अधिकार अधनियम (FRA), 2006 क्या है?

- **परचियः**
 - FRA, 2006 वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और पारंपरिक वन-नवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों जो उनकी आजीविका, नविस तथा सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लये आवश्यक हैं, को स्वीकार करता है।
 - पूर्व में वन प्रबंधन नीतियों में वन नवासियों के हतियों की अनदेखी की गई थी, यह अधनियम वनों के साथ उनके सहजीवी संबंध को मान्यता प्रदान कर इन समुदायों द्वारा सामना कये गए चरिकालीन अन्याय को समाप्त करता है।
- **FRA, 2006 के तहत वन नवासियों के अधिकारः**

- FRA के तहत, वनवासियों को **वैयक्तिक अधिकार** जैसे **स्व-खेती और आवास** का अधिकार तथा साथ ही सामूहिक अथवा सामुदायिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं जिनमें चराई, मछली पकड़ना एवं वनों में जलाशयों तक पहुँच व खानाबदोश और घुमंतु समुदाय द्वारा पारंपरिक मौसम के अनुसार संसाधनों का उपयोग शामिल हैं।
- अधिनियम **वशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG)** के अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रथागत अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन अथवा प्रबंधन के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त यह वन-नवासी समुदायों की बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये **विकास संबंधी उद्देश्यों** हेतु **वन भूमि के आवंटन का प्रावधान** करता है।
- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता के अधिकार के साथ सहयोग के रूप में, FRA जनजातीय जनसंख्या को उनके पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन हुए बना बेदखल किये जाने से बचाता है।
- यह अधिनियम **ग्राम सभा** को **अधिनियम के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका** नभाने का उत्तरदायित्व सौंपता है।
 - इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा, जनजातियों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वरिसत, **जनजातीय जनसंख्या** को स्थानीय नीतियों और उन्हें प्रभावित करने वाली **योजनाओं के निर्धारण में नरिणायक भूमिका** वाला एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय भी है।
 - FRA, ग्राम सभा को वन अधिकारों को नरिधारित करने और मान्यता देने तथा संरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं साथ ही उनकी प्रथागत व पारंपरिक सीमाओं के भीतर वनों, वन्यजीवों और जैवविविधता की रक्षा तथा संरक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपता है एवं उन्हें अधिकृत करता है।
- FRA का उल्लंघन, वशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के **वर्ष 2016 के संशोधन** के तहत अपराध माना जाता है।
- FRA के अनुसार **वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना** वन में नवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन नवासियों के वन अधिकारों में से एक है।

नोट:

- **वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम (WLPA), 1972** के तहत संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित करते समय, सरकार को FRA, 2006 के तहत अधिकारों का आकलन करने और ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है।
 - FRA 2006, वर्ष 2006 में FRA बाद के कानून को WLPA, 1972 पर प्राथमिकता दी जाती है। WLPA का कोई भी खंड जो FRA के वरिध में है, उसे शून्य माना जाता है।

थानथाई पेरियार अभयारण्य से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं

- थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमलिनाडु के इरोड ज़िले की बरगुर पहाड़ियों में 80,114.80 हेक्टेयर में वसित है।
- इसे राज्य का 18वाँ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जो **नीलगिरी बायोस्फीयर रज़िर्व** को **कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य** से जोड़ता है।
- **पूर्वी घाट** एवं **पश्चिमी घाट** के जंक्शन पर स्थित यह अभयारण्य **समृद्ध जैवविविधता** रखता है।
- **अभयारण्य सतयमंगलम टाइगर रज़िर्व, माले महादेश्वरा हलिस टाइगर रज़िर्व** एवं **कावेरी वन्यजीव अभयारण्य** को जोड़ने वाले बाघ गलियारे का हिस्सा है।
 - **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** द्वारा मान्यता प्राप्त और साथ ही यह बाघों की व्यवहार्य आबादी का समर्थन भी करता है तथा उनके संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- यह क्षेत्र **नीलगिरी हाथी रज़िर्व** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ **हाथियों** तथा **भारतीय गौर** की अधिक आबादी रहती है।
 - यह **पलार नदी** के लिये जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो कृषिगतविधियों जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गरिती है।

बायोस्फियर रज़िर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य की तुलना

वशिषता	बायोस्फियर रज़िर्व	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
उद्देश्य	सतत् विकास को बढ़ावा देना, जैवविविधता, सांस्कृतिक वरिसत एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना	प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, मानवीय हस्तक्षेप से बचाना,	जंगली जानवरों के आवासों की रक्षा करना, प्रजनन को बढ़ावा देना
प्रबंधन	यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सरकार के स्वामित्व में है।	राष्ट्रीय उद्यानों पर सरकार का पूर्ण अधिकार है।	ये सरकार के अधीन हो सकते हैं या नजी संस्थाओं के अधीन हो सकते हैं।
क्षेत्र	कोर ज़ोन (कठोरता से संरक्षित), बफर ज़ोन (सीमित)	आमतौर पर ज़ोन में वभिाजति नहीं कथिा जाता है	आम तौर पर ज़ोन में वभिाजति नहीं कथिा जाता है

वशिषता	बायोस्फियर रिज़र्व	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
	मानवीय गतविधियों की अनुमति, ट्रांजिशन ज़ोन (सतत विकास को प्रोत्साहित)		
मानवीय गतविधियों	कोर ज़ोन में प्रतर्बिधति, बफर ज़ोन में सीमति, ट्रांजिशन ज़ोन में प्रोत्साहित किया गया	प्रतर्बिधति, मुख्य रूप से मनोरंजक उद्देश्यों के लिये	जानवरों को परेशानी से बचाने के लिये प्रतर्बिधति, शैक्षणिक पहुँच सीमति
उदाहरण	नंदा देवी (उत्तराखंड), नोकरेक (मेघालय)	जमि कॉर्बेट (उत्तराखंड), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	गरि राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), चलिंका झील पक्षी अभयारण्य (ओडिशा)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचति जनजात और अनय पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चति करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2019)

- भारतीय वन अधनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन नवासियों को वनक्षेत्रों में उगाने वाले बाँस को काट गरिने का अधिकार है।
- अनुसूचति जनजात और अनय पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
- अनुसूचति जनजात और अनय पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 वन नवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिका खनन के लिये नजि पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषति किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. यद किसी वशिष्ट क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखिति में कथनों में से कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतर्बिधति करता है? (2022)

- इससे जनजातीय लोगों की ज़मीने से गैर-जनजातीय लोगों को अंतरति करने पर रोक लगेगी।
- इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
- इससे वह क्षेत्र केंद्रशासति प्रदेश में बदल जाएगा।
- जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषति किया जाएगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rights-of-forest-dwellers-and-thanthai-periyar-sanctuary>

